

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाभी प्रभुदास देसाभी

अंक २९

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाभी देसाभी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १९ सितम्बर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें २० ६
विदेशमें २० ८; शि० १४

शिक्षा और सेवा

बड़ीदाके अेक भाभी 'हरिजन' के ग्राहक हैं। वे व्यवस्थापकको अंग्रेजीमें अेक लम्बा पत्र लिखकर बताते हैं कि वे 'हरिजन' के ग्राहक नहीं बने रहना चाहते। अिसके कारणकी भी वे अपने पत्रमें चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्गीय किशोरलालभाभीके बाद पत्रका बल घटा है, अुसमें मौलिक समालोचनाका गुण देखनेको नहीं मिलता — वगैरा। पत्रलेखककी अिस शिकायतके वारेमें मुझे कुछ कहना नहीं है। मैंने जब यह काम अपने सिर लिया था, तभी अपनी वृत्ति बता दी थी कि कहां बापू, महादेवभाभी और किशोरलालभाभी जैसे पूर्वाचार्य और कहां मैं? लेकिन मेरे लिये यह काम कर्तव्यरूप है। अपनी शक्ति और समझके अनुसार मैं परमेश्वरके नाम पर अिस कर्तव्यको पूरा करनेका प्रयत्न करता हूं। यह भी कह दूं कि अिन भाभीकी शिकायत जैसी कम ही शिकायतें मेरे पास आती हैं। देश-विदेशके अनेक लोगोंने अिसके बारेमें संतोष प्रकट किया है और कहा है कि हमें 'हरिजन' पत्र पहले जैसे ही काम देते हैं। लेकिन मेरे अिस कथनको कोभी बचाव या आत्मश्लाघाके रूपमें न मानें। मेरे कहनेका अर्थ अितना ही है कि हरअेककी अपनी-अपनी राय हो सकती है।

पाठक जानते हैं कि ये पत्र केवल कुछ लिखनेके लिये नहीं चलाये गये या चलाये जाते हैं। अुनके द्वारा देशके कार्य करनेका ध्येय हमेशा सामने रहा है। और वे कार्य रचनात्मक कार्य हैं, जो देशके पुनर्निर्माण और सच्चे स्वराज्यकी स्थापनाके लिये जरूरी हैं।

पाठक पूछेंगे कि वे कार्य कौनसे हैं? जगतकी शांति और मानवकी आत्माका विकास अुन कार्योंकी नींव है। अुसका अुपाय सत्य और अहिंसात्मक होना चाहिये। अेक तरहसे कहें तो ये काम अैसे हैं, जिन्हें सब कोभी जानते हैं। अुस अुस समय गांधीजीने ये कार्य हमारे सामने रखे थे। फिर भी अुनमें नवीनता है और वह यह कि आजके जड़मूलसे बदले हुअे स्वतंत्रताके युगमें वे कार्य अेक अलग ही स्वरूप और भाव ग्रहण करते हैं। अुनसे संबंध रखनेवाली दलीलों और अुनके प्रयोजनोंकी नये रूपमें और नये संयोगोंमें फिरसे अांच की जानी चाहिये। अुनमें सुधार करने, घटाने-बढाने या नये सिरसे कुछ जोड़नेकी भी जरूरत हो सकती है। फिर भी थोड़ेमें अुनका सार यह है कि गांधीजीने हमें जो बातें सिखायी हैं, अुन्हें अब हमें अपने विचारबलसे अपनाकर खुद ही — गांधीजीने कही हैं अिसलिये नहीं, बल्कि अिसलिये कि हम अुनकी जरूरत आज महसूस करते हैं — कारगर बनाना होगा। 'हरिजन' पत्र आज नये युगमें अुपरके काम करनेके लिये ही चलते हैं। अिसी कारणसे नवजीवन ट्रस्ट घाटा अुठकर भी अुन्हें चला रहा है। हालांकि घाटा अुठानेकी भी अेक हद तो होती ही है।

यह घाटेकी बात आती तो मुझे यहां अितना और कह देना चाहिये कि तीनों 'हरिजन' पत्र मिलकर भी आज अपना पूरा खर्च नहीं निकाल पाते। अुनके ग्राहक घटते जाते हैं। लेकिन यहां अुसकी तफसीलमें मैं नहीं जायूंगा। मैं मानता हूं कि समय आने पर व्यवस्थापक अुसकी विस्तृत चर्चा करेंगे।

अुपरकी बात तो मैंने पत्र-लेखककी शिकायतके संबंधमें कही है। अब मैं अुनके पत्रकी मुख्य बातों पर आता हूं। मेरे मनमें प्रश्न अुठता है कि अुन्होंने अपना पत्र अंग्रेजीमें क्यों लिखा? वे गुजरातीमें लिख सकते हैं। अैसा करके वे अपने विचार ज्यादा अच्छे ढंगसे प्रकट कर सकते थे। अुन्होंने अुपरकी शिकायतके अलावा अेक-दो और भी विचार अपने पत्रमें बताये हैं। वे भूमिदानके बारेमें लिखते हुअे कहते हैं कि वस्तुतः भूमिदानकी बात अुन्हें पसन्द है। लेकिन अुनकी आपत्ति यह है कि सारे भूमिदाता शुद्ध बुद्धि और शुद्ध भावसे जमीन नहीं देते। अिसके अलावा, अुन्हें जितनी श्रद्धा श्री विनोबामें है, अुतनी भूमिदानका काम करनेवाले निचले स्तरके सेवकोंमें नहीं है। अिसलिये वे कहते हैं कि जमीनका बंटवारा करनेके लिये विनोबा तो हर जगह नहीं पहुंच सकेंगे, तब फिर अिस महत्त्वके कामका अाखिर क्या होगा? और समग्र रूपमें अुनकी बड़ी शिकायत यह है कि ग्राम-जीवनका संचा अध्ययन किसीने भी नहीं किया है; अुसके बिना भूदानसे या और किसी आन्दोलनसे कुछ लाभ होनेवाला नहीं है।

भूमिदानके संबंधमें अुपरकी शिकायत या शंका वैसी ही है, जैसी कि मीराबहन और दूसरे कुछ लोगोंने अुठायी थी। अुनकी चर्चा में अिस पत्रमें पहले कर चुका हूं। अिसलिये फिर अुसे यहां नहीं दोहराना चाहता। यह तो स्पष्ट है कि सब कार्यकर्ता श्री विनोबाके जैसे नहीं हो सकते। हमारी स्वराज्यकी लड़ाईके दिनोंमें भी अैसा कहा जाता था कि सब लोग गांधीजी जैसे नहीं हैं; नीचेके सारे सेवकोंसे सत्याग्रह नहीं चल सकता। फिर भी हमने देखा कि काम करनेकी अेक सामुदायिक रीति होती है और अुस रीतिसे समाजके काम होते आये हैं। प्राचीन कालमें सभी राम, कृष्ण या बुद्ध नहीं थे; फिर भी काम तो होता ही था। पढ़े-लिखे लोगोंमें अेक अति व्यक्तिवादी दृष्टि निर्माण हो जाती है, अिससे अुनमें बालकी खाल निकालनेकी आदत पड़ी हुअी देखनेमें आती है। यही चीज अिन भाभीके पत्रमें भी देखनेको मिलती है। अुनकी मुख्य बात तो यह है कि समग्र ग्राम-जीवनका अभ्यास हमारे यहां किसीको नहीं है। यहां मैं अुन्हींके कुछ शब्द अुद्धृत करता हूं:

“समाज-शास्त्र और मानव-विद्याके विद्यार्थीके नाते मेरा निश्चित मत है कि पं० नेहरू सहित सारे राजनीतिज्ञों और श्री विनोबाके साथ सारे समाजसेवकोंको हमारे ग्रामजीवनका सच्चा और परिपूर्ण खयाल ही नहीं है। अुनके विचार अुनकी

राष्ट्रवादी मान्यताओं और मनपसंद कल्पित विचार-दृष्टि पर खड़े हैं। . . . यह सब ठीक नहीं है। अर्थशास्त्र जो थोड़ी-बहुत बातें सिखाता है, उससे ज्यादा भूदानके अपरी या निचले स्तरके कार्यकर्ता भी कुछ नहीं जानते।”

श्री विनोबा या श्री जवाहरलालजीको ग्रामजीवनका खयाल नहीं है, यह कहनेकी घृष्टता केवल किताबी विद्वत्ताके बल पर ही कोजी कर सकता है। देशके जिन दो आजीवन सेवकोंने अपने विचार और दृष्टि अर्थशास्त्र पढ़कर नहीं प्राप्त किये, बल्कि देशकी जनताकी सेवा करते-करते प्रत्यक्ष अनुभवसे उन्हें प्राप्त किया है। ये भाजी अपने किताबी अध्ययनके बल पर जो कुछ जानने-समझनेका दावा करते हैं, उसकी सच्ची कसौटी और कीमत तो उस ज्ञानका उपयोग करनेमें है। यदि वे अपने जिस ज्ञानका उपयोग प्रत्यक्ष कार्यके जरिये भूमिदान प्रवृत्तिमें करें, या अपने मनपसंद किसी दूसरे सेवाकार्यमें करें, तो उन्हें मालूम होगा कि सच्चा ग्राम-जीवन क्या है और उसके प्रश्न हल करनेके लिये क्या क्या किया जाना चाहिये। ऐसा देखनेमें आता है कि केवल अमुक विषयको पढ़ लेनेसे पढ़नेवालेके मनमें शास्त्रीय ज्ञानका सन्तोष-सा अनुभव होने लगता है। हमारे शिक्षित नवयुवकोंको जिस कमजोरीसे बचना चाहिये। जिसका अुपाय यही है कि वे अपनी विद्याको प्रत्यक्ष कार्यकी कसौटी पर कसैं। पढ़नेके बाद गुननेकी आवश्यकता रहती है। यह याद रखना चाहिये कि उस आवश्यकताकी पूर्ति जीवनके विश्वविद्यालयमें प्रत्यक्ष कार्य द्वारा अध्ययन करनेसे ही होती है।

२८-८-५३
(गुजरातीसे)

मगनभाजी देसाजी

टिप्पणियां

बीड़ीका व्यसन और आरोग्य

अुपर्युक्त शीर्षकसे श्री क्षितीन्द्रकुमार नागके अंग्रेजी लेखका गुजराती अनुवाद ता० २०-६-५३ के 'हरिजनबंधु' में प्रकाशित हुआ है।*

विषय अत्यन्त अुपयोगी है; तम्बाकूके समग्र अुपयोगको ध्यानमें रखकर उसकी बारीकीसे जांच होनी चाहिये। सूंघने, खाने और पीनेमें तम्बाकूका अुपयोग लगभग सार्वत्रिक जैसा बन गया है। चिलम, पाजिप और हुक्के आदिसे तम्बाकू पीनेवाले तम्बाकूके नुकसानसे कितने अंशों तक बचते हैं? और काम करते हुये बीच-बीचमें आराम लेनेके लिये श्रमजीवी वर्ग यदि तम्बाकूका 'मजा' न ले तो क्या करे? ये और जिस तरहके दूसरे सवाल सोचने जैसे हैं।

“तम्बाकू पीनेके आदी बने हुये लोगोंका तम्बाकू छोड़ते ही धजन बढ़ने लगता है”, डॉ० नाग द्वारा अपने समर्थनमें दिये हुये जिस बुद्धरणकी पुष्टि अभी-अभी दो-तीन महीने पहले ही घटी हुयी नीचेकी घटनासे होती है:

राजस्थानके पाली जिलेके सुमेरपुर कस्बेके करीब पैंसठ वर्षके अेक व्यापारी भाजीने, जो बचपनसे बीड़ीके बड़े व्यसनी थे, अेक लड़केको बीड़ी पीते हुये रोका। जिस व्यापारीके सुपुत्रने, जो बड़े भले स्वभावके नीतिभीर, निर्व्यसनी और सज्जन व्यक्ति हैं, प्राकृतिक चिकित्सामें भी विश्वास रखते हैं और जिनका करीब बयालीस वर्षका जीवन बिना किसी दवा-दारूके सुख और आरामसे बीता है, बड़ी नम्रतासे अपने पिताको कहा कि यह लड़का थोड़ा अच्छा मालूम होता है; कोजी दूसरा होता तो आपसे अुलटा सवाल करता कि आप क्यों पीते हैं? पुत्रकी यह सांकेतिक

* यह लेख 'हरिजनसेवक' में ता० १८-४-५३ के अंकमें 'तन्दुस्ती पर तम्बाकू पीनेका असर' शीर्षकसे छपा है।

बात सचोट सावित हुयी। अुसी क्षणसे अुस बड़े व्यापारीने बीड़ी पीना छोड़ दिया। कुछ दिन तो अुन्हें थोड़ा मुश्किल मालूम हुआ। लेकिन बीड़ी छूटते ही अुनके शरीरमें परिवर्तन होने लगा। जठराग्नि सतेज हो गयी। लगभग बीस वर्षसे अुनका वजन करीब ११०-१११ पौंड ही रहता था, वह अब बढ़कर १२१-१२२ पौंड हो गया। जिससे अुन्हें अपार आनन्द और आश्चर्य होता है।

यह जिस बातका भी अुदाहरण है कि मजबूत मन वर्षोंकी बुराजीको क्षणभरमें मिटा सकता है।

(गुजरातीसे)

गोकुलभाजी भट्ट

दृष्टिदान

श्री सम्पादक, हरिजन

लंदनके अेक अखबार 'डेली स्केच' का समाचार है कि अेक ६७ वर्षके बड़े अंग्रेज सज्जन ४५ वर्ष तक अंधे रहनेके बाद फिर देखने लगे हैं। ४५ वर्षके बाद जब अुन्हें अचानक फिर दृष्टि प्राप्त हुयी, तो वे भगवानको धन्यवाद देते हुये बार-बार यही कहते रहे कि 'हे भगवान्, मैं कितना खुश हूं।' अब वे बहुत साफ देख सकते हैं। अुनकी जिस दृष्टि-प्राप्तिका श्रेय लंदनके रायल हास्पिटलके आंखके डाक्टरों और अुस दयालु महिलाको है जिसने अपनी अेक आंख जिस वृद्धकी सहायताके लिये दान करनेकी वीरता और अुदारता दिखायी। आंखके सर्जनने बहुत होशियारीके साथ अुसकी सहमतिये अुसकी अेक आंखका 'कानिया' (चक्षुपटल) आंखसे अलग करके अंधेकी बायीं आंखमें जोड़ दिया। जिस ऑपरेशनकी खूबी यह है कि आंखके अुक्त हिस्सेको जीवितावस्थामें ही निकाला और जोड़ दिया जाता है। आपरेशनके बाद कुछ सप्ताहों तक वृद्धकी यह आंख पट्टीसे बंधी रही। फिर अेक दिन पट्टी खोली गयी और ४५ वर्ष तक अंधे रहनेवाले जिस व्यक्तिने डॉक्टरों और परिचारिकाओंको देखा। अुसका यह अनुभव बहुत ही रोमांचपूर्ण था। हमारे देशके हजारों अंधोंको भी जिस घटनासे आशाका संदेश मिलता है—अैसे ऑपरेशनके जरिये अुन्हें दृष्टिदान दिया जा सकता है। बम्बयीमें परेलेके किंग अेडवर्ड मेमोरियल अस्पतालमें आंखके डाक्टर जीवित आंखसे कानिया निकालकर अुसे अंधी आंखमें जोड़नेका यह ऑपरेशन करते हैं। भारतके दूसरे शहरोंमें भी आंखके अैसे अस्पताल अवश्य होंगे जहां अंधोंको अुनकी खोयी हुयी दृष्टि जिस तरह फिर वापस दी जा सकती है। अच्छी स्वस्थ आंखोंवाली स्त्रियों और पुरुषोंको अपनी विलमें यह बात भी दाखिल करवाना चाहिये कि जब अुनकी मृत्यु हो तो अुनके रिस्तेदार तुरन्त आंखके डाक्टरको बुलाकर अुनकी मृत देहसे अुनकी आंखें निकलवा लें और अुन्हें अुपर्युक्त अुद्देश्यके लिये दान कर दें।

५८, वुडहाअुस रोड,

कोलाबा, बंबई-५

(अंग्रेजीसे)

सोराबजी मिस्त्री

कृत्रिम खाद

कुछ माह पहले अेक दक्षिण भारतीय पाठकने मुझे अेक पत्र लिखा था, जिसमें अुन्होंने बताया था कि चावलकी खेतीकी जापानी पद्धतिमें कृत्रिम खादका अुपयोग करनेकी जरूरत होती है और जिस कारण जमीनके अुपजाअुपनकी दृष्टिसे वह लम्बी अवधिमें नुकसानदेह साबित होगी। अुन्होंने मेरा ध्यान जिस विषय पर 'हरिजन' में पहले जो लेख प्रकाशित हो चुके हैं, अुनकी ओर खींचा। अुनका संकेत स्पष्ट था। वे चाहते थे कि मैं जिस विषयकी चर्चा दुबारा करूं। मैंने अुनका यह पत्र बम्बयी प्रान्तमें जापानी पद्धतिसे चावलकी खेतीका प्रयोग करनेवाले अेक केन्द्रको भेज दिया। केन्द्रकी ओरसे जो जवाब आया है, वह न तो संतोषप्रद

है और न अचित निर्णय पर पहुंचनेमें किसी तरहकी मदद ही करता है। बादमें प्रसंगवश इसी संबंधका एक और समाचार मेरे पढ़नेमें आया, जो एक दूसरे पाठक-मित्रने भेजा था :—

कोअिम्बटूर, २७ अप्रैल

“सुना जाता है कि धानकी खेतीकी जापानी पद्धति हमारी परिस्थितियोंके लिये पूरी तरह अनुकूल नहीं है। बताया गया है कि यह बात आ० सी० अ० अफ० आ० के अन्न और खेती संघटनके चावल-सलाहकार डॉ० रामैयाको मद्रासके खेती-विभागके कर्मचारियोंने कही है।

“डॉ० रामैयाको भारत-सरकारने देशके विभिन्न प्रान्तोंमें चावलकी खेतीकी जापानी पद्धतिके प्रयोगकी गति-विधिकी जांच करने और अुस पर अपनी रिपोर्ट पेश करनेके लिये कहा था।

“कर्मचारियोंका कहना है कि जापानी पद्धतिके प्रयोगमें बड़ी मात्रामें अेमोनियम सल्फेटका अुपयोग करनेकी जरूरत होती है और इसलिये वह हमारे देशकी परिस्थितियोंके अनुकूल नहीं है।

“अतः जापानी पद्धतिमें कुछ फर्क किया जा रहा है। अेमोनियम सल्फेट या नाइट्रोजन कम मात्रामें लिया जाता है और अुसे कम्पोस्ट या हरी खादमें मिला दिया जाता है। यह नयी पद्धति गोदावरी, कृष्णा और कावेरीके डेल्टा-क्षेत्रके चावल पैदा करनेवाले लगभग ३००० गांवोंमें प्रदर्शित की जायगी। इस पद्धतिके प्रयोगके लिये शुरूमें चावलकी अुन किस्मोंको चुना जायगा जिनकी फसल जल्दी आ जाती है।” (टाइम्स आफ इन्डिया न्यूज़ सर्विस)

विशेषज्ञ न होनेके कारण मैं इस प्रश्न पर निश्चित राय नहीं दे सकता। पर कृत्रिम खादके अुपयोगके बारेमें सामान्यतः एक बात में जरूर कहूंगा। अगर जापानी पद्धतिमें कृत्रिम रासायनिक खादोंकी जरूरत अनिवार्य हो, तो यह इस पद्धतिका एक बड़ा दोष है और हमें अुसके खिलाफ समय रहते चेत जाना चाहिये। अिन कृत्रिम खादोंके बुरे नतीजोंके विषयमें आजकल अनेक वैज्ञानिकोंकी यही राय है कि यह वस्तु निर्दोष नहीं है। और जमीनकी परख रखनेवाले वैज्ञानिक आधुनिक जगतको अुनके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं।

२-७-५३
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

मध्यप्रदेशकी राजभाषायें

नीचेकी खबर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निकाली गयी एक प्रेस विज्ञापितमें से दी जा रही है:

“कुछ अपवादोंको छोड़कर राज्यके सारे कामकाजके लिये हिन्दी और मराठी मध्यप्रदेशकी राजभाषायें घोषित की गयी हैं। यह बिल्कुल सच है कि जब हम एक भाषाकी जगह किसी दूसरी भाषाको देते हैं, तब अनेक कठिनाइयां पैदा होती हैं। लेकिन यह निश्चित है कि हम इसी कारणसे इस परिवर्तनको अनिश्चित कालके लिये स्थगित नहीं रख सकते। इसलिये यह जरूरी है कि हम अिन कठिनाइयोंको दूर करें और अपना सारा सरकारी कामकाज अपनी भाषाओंमें करना शुरू करें। इस विज्ञापित पर पहली सितम्बरसे अमल किया जायगा। वह कामकाजके कुछ ऐसे वर्गोंको इस अमलका अपवाद मानती है, जिनमें कानूनी या कुछ समयके लिये दूर न की जा सकनेवाली शासन-संबंधी कठिनाइयां हैं। अिन कामोंके लिये फिलहाल अंग्रेजीका अुपयोग किया जा सकता है। लेकिन सरकार अपने अधिकारियोंसे यह आशा रखती है कि वे अिन कामोंमें भी यथासंभव

राजभाषाओंका ही अुपयोग करेंगे, सिवाय ऐसे कामकाजके जो विज्ञापितके अनुसार अंग्रेजीमें ही होना चाहिये।

“फिर भी यह साफ कर दिया जाना चाहिये कि २६ जनवरी, १९५४ के बाद सारा सरकारी कामकाज जहां तक हो सकेगा राजभाषाओंमें ही किया जायगा, सिवाय अुन विषयोंके जिनमें कानूनके अनुसार या संविधानके आदेशानुसार केवल अंग्रेजीमें ही काम होना चाहिये।

“सरकार चाहती है कि जिस भाषाका अुपयोग किया जाय वह यथासंभव सीधी-सादी और आसानीसे समझने लायक होनी चाहिये। कानूनी, पारिभाषिक और ऐसे दूसरे शब्दोंको छोड़कर, जिनके गलत प्रयोगसे गड़बड़ी या गलतफहमी होनेकी संभावना हो, ऐसे प्रचलित शब्दोंका ही अुपयोग किया जाना चाहिये, जिन्हें आम लोग आसानीसे समझ लेते हैं। अगर किसी अंग्रेजी शब्द या मुहावरेका हिन्दी या मराठी पर्याय तुरन्त न मिल सके, तो कुछ समयके लिये अुस अंग्रेजी शब्द या मुहावरेका प्रयोग करनेमें कोअी हर्ज नहीं।”

८-९-५३

(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

भूमिदान

(१)

कौन टोकता है शंकासे? चुप रह, चुप, अपलापी।
क्रियाहीन चिन्तनके अनुचर! केवल ज्ञान-प्रलापी।
नहीं देखता, ज्योति जगतमें नूतन अुभर रही है?
गांधीकी चोटीसे आगे गंगा अुतर रही है।

अंधकार फट गया, विनोबामें धरकर आकार,
धूम-धूम वेदना देशकी धर-धर रही पुकार।

(२)

ओ सिकतामें चंचु गाड़कर सुखसे सोनेवालो!
चिन्ताओं सब डाल भाग्य पर निर्भय होनेवालो!
पहुंच गयी है घड़ी, फैसला अब करना ही होगा,
दो में किसी राह पर पगले! पग धरना ही होगा।

गांधीकी लो शरण, बदल डालो मिलकर संसार।
या फिर रहो कल्किके हाथों कटनेको तैयार।

(३)

अपनेको ही नहीं देख टुक, ध्यान अिधर भी देना,
भूमिहीन कृषकोंकी कितनी बड़ी खड़ी है सेना।
बांध तोड़ जिस रोज फौज खुलकर हल्ला बोलेगी,
तुम दोगे क्या चीज? वही चाहेगी जो सो लेगी।

कृष्ण दूत बनकर आया है, चरण गहो सम्राट,
मच जायगा प्रलय, कहीं वामन हो पड़ा विराट।

(४)

पहचानो, यह कौन द्वार पर अघनंगा आया है?
किस कारण अधिकार स्वयं बन भिखमंगा आया है?
समझ सको यदि मर्म, बुलाये विना दौड़कर आओ,
जो समझो तुम अंश अपरका अुसे स्वयं दे जाओ।
स्वत्व छीनकर क्रांति छोड़ती कठिनाओंसे प्राण,
बड़ी कृपा अुसकी, भारतमें मांग रही वह दान।

रामधारीसिंह 'विनकर'

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

हरिजनसेवक

१९ सितम्बर

१९५३

अक गलतीके खिलाफ दूसरी गलती

सूरत जिलेके पारडी तालुकेमें प्रजा-समाजवादी पार्टीकी ओरसे अक आन्दोलन शुरू किया गया है। सरकारकी ओरसे अउसमें कुछ लोगोंको पकड़ लिया गया है और सारे तालुकेमें १४४ धारा लागू कर दी गयी है।

पारडीके अिस आन्दोलनका संबंध भूमिदान-आन्दोलनसे है। तथा अउसके नेता अपने अिस आन्दोलनको 'खेड़ सत्याग्रह' नामसे पुकारते हैं। अिसलिअे अउसके विषयमें विचार करना चाहिये।

बम्बयी राज्यके काश्तकारी कानूनकी वजहसे खातेदारों या जमीन-मालिकोंमें अक अैसी प्रवृत्ति पैदा हो गयी कि काश्तकारी कानूनके कारण सुरक्षित बने अुअे काश्तकारोंसे जितनी बने अुतनी साझे या लगान पर दी अुअी जमीन खुद खेती करनेके लिअे वापिस ले ली जाय। कानूनमें अैसा करनेकी गुंजाअिस होनेसे जमीन-मालिकोंने अुसका लाभ अुठाना शुरू किया। कहा जाता है कि अिस तरीकेसे पारडी तालुकेमें काफी जमीन असामियोंके पाससे जमीन-मालिकोंके हाथमें चली गयी।

दूसरी बात यह अुअी बतायी जाती है कि जमीन-मालिकोंने अिस तरह वापिस पायी अुअी जमीन पर अनाजकी खेती कम करके या बन्द करके घास अुगाना शुरू किया। अुसमें भी अुअें मनाफा तो होता ही है। अिसके अलावा, वे दो तरहसे विशेष निश्चिन्त रहते हैं: (१) घास पैदा करनेमें कुछ खास अुत्पादन-खर्च नहीं करना पड़ता; (२) मजदूरोंकी गरज कम हो गयी है। कुल मिलाकर अिसमें जमीन-मालिकोंको सफलता मिली और किसानोंका धंआ छिन गया।

अनाजकी पैदावार कम करके जमीनमें घास पैदा करना काश्तकारी कानून या सरकारकी जमीन-संबंधी आजकी नीतिके अनुसार सही है या गलत, यह अक सवाल है। अिस संबंधमें सरकारको खातेदारोंसे जवाब तलब करना चाहिये।

घास भी ढोरोंके कामकी चीज तो मानी जायगी। लेकिन अनाजकी तंगीके वक्त अनाज पैदा करनेवाली जमीनमें अनाजके बदले घास पैदा करना ठीक नहीं माना जा सकता। फिर भी बताया जाता है कि पारडीके खातेदारोंका पिछले कुछ बरसोंसे अिसी तरहका रवैया रहा है। यह स्पष्ट है कि अिसके फलस्वरूप किसानोंमें बेकारीके प्रश्नने अुग्र रूप धारण कर लिया। अिसे कैसे हल किया जाय, यह सरकार और जनता दोनोंके लिअे चिन्ताका विषय बन गया।

अैसी स्थितिमें प्रजा-समाजवादी पार्टीने 'खेड़ सत्याग्रह' नामसे अक आन्दोलन शुरू किया। तेलंगानामें भूमिहीनोंकी अैसी हालत देखकर श्री विनोबाने भूमिदान-यज्ञका सीधा और शांतिपूर्ण हल सुझाया था। समस्याका यह हल लोगोंको पसन्द आया और आज अिस तरीकेसे देशव्यापी आन्दोलन शुरू हो गया है। यह तरीका पारडीमें भी आजमाया जा सकता है। प्रजा-समाजवादी पार्टीके नेता श्री जयप्रकाशनारायण हालमें ही पारडी तालुकेमें और सारे गुजरातमें भूमिदान-आन्दोलनको वेग देनेके लिअे आये थे। अुअोंने यह कहा कि अिस नीतिके जोरोंसे आगे बढ़ाना चाहिये; अिस रास्ते चलकर हम अक बड़ा सवाल शांतिसे हल करके देशमें अद्भुत बड़ी अान्ति कर सकेंगे। यह तो साफ है कि पारडीका

'खेड़ सत्याग्रह' आन्दोलन भूमिदानकी अिस नीति पर नहीं खड़ा है। अुसके नेता भी यह बात स्वीकार करते हैं। अुनका यह दावा है कि यह आन्दोलन अुससे आगे बढ़ा अुआ सत्याग्रह है। अिसका अर्थ यह है कि अुअें भूमिदान-यज्ञ निष्फल मालूम अुआ।

अिसके अलावा, सत्याग्रहका पहला सिद्धान्त यह है कि अिस बातके लिअे सत्याग्रह किया जाय और अिसके खिलाफ वह किया जाय, अिन दोनोंकी स्पष्टता होनी चाहिये। और ये दोनों चीजें लोगोंकी निगाहमें अुचित होनी चाहिये; या अुनका अुचित्य समझानेके लिअे लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये। अैसा करनेके बाद यदि नरम वैधानिक तरीकोंसे काम लेने पर सवाल हल न हो, तो शांतिके अमली अुपायका आसरा लिया जा सकता है। अिस दृष्टिसे पारडीके आन्दोलनको देखनेसे क्या मालूम होता है?

अैसा कहा जाता है कि अभी तुरन्त ५००० अेकड़ जमीन घासकी खेतीसे निकालकर किसानोंको दी जानी चाहिये। अुसके लिअे जोरदार भूमिदान-आन्दोलन खड़ा करनेके बजाय किसानोंमें अैसा प्रचार किया गया कि तुम सब मिलकर घासकी जमीन पर जाओ और अुसे जोतने लगे। यानी जमीनका कब्जा लेकर अुस पर खेतीका काम शुरू कर दो। मौसम, वक्त और साधन वगैराको देखते अुअे अिस समय जमीन जोतनेसे तात्कालिक कोअी फसल मिल सकती है या नहीं, यह अक अलग सवाल है। लेकिन यह कदम खातेदारोंके खिलाफ माना जायगा। और वह अिस तरह कि भूमिहीन लोगोंकी टोलियां जमीन पर कब्जा करनेके लिअे दौड़ पड़ें, अिससे खातेदारों पर अैसा दबाव पड़े कि वे जमीन दे दें या छोड़ दें। अथवा अिसके पीछे आन्दोलनकारियोंकी यह धारणा रही हो कि अिस प्रकार लोगोंकी भावनाको अुत्तेजित करनेवाला जोरदार प्रदर्शन किया जाय, तो सरकार पर अुसका असर पड़ेगा और वह कानूनके बल पर काश्तकारोंको जमीन दिला देगी। यदि अिस तरहकी कुछ भोली समझ या अनुमानसे पारडी-आन्दोलन शुरू किया गया हो, तो यह साफ है कि वह भूमिदान-यज्ञके सिद्धान्तोंसे भिन्न नीति पर खड़ा माना जायगा। साथ ही यह भी कहना होगा कि अुसमें सच्चे सत्याग्रहकी मुख्य शर्तें पूरी नहीं होतीं। वह आन्दोलन सीधा खातेदारोंके खिलाफ नहीं कहा जा सकता और फिर भी वह अुअें छूता है; अिसी तरह वह सीधा सरकारके खिलाफ भी नहीं शुरू किया गया, अद्यपि सरकारको भी वह छूता अवश्य है। खातेदारोंकी जमीनमें प्रवेश करनेसे कानूनका भंग होता है, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह सविनय कानून-भंग है। अिस कारण सारा आन्दोलन प्रदर्शन करनेकी अक हलचल जैसा बन गया है। सत्याग्रह अिससे कहीं गंभीर चीज है। अिसलिअे पारडी-आन्दोलनको सही मानोंमें सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता।

दूसरे, आज यह विवादका विषय नहीं रहा कि भूमिहीनोंको भूमि मिलनी चाहिये। सरकार भी अैसा चाहती है; लोग भी भूमिदानको पसन्द करते हैं। अैसी हालतमें कौनसे सत्यको सिद्ध करनेके लिअे आग्रह किया जाता है? यह कहा जाता है कि काश्तकारोंकी जमीन गलत तरीकोंसे छीन ली गयी है, अिसकी जांच होनी चाहिये। खेड़ सत्याग्रहके पीछे जो मांग है, अुसका विचार करनेसे तो अुलटी अुलझन बढ़ती है, घटती नहीं। अैसी जांच जरूरी मालूम हो तो अुसके लिअे अवस्थित मांगका आन्दोलन खड़ा करना चाहिये। धारासभाका आसरा लिया जा सकता है। यदि अैसा लगे कि खातेदारोंने जमीनों पर गैरकानूनी ढंगसे कब्जा कर लिया है, तो अदालतोंका आसरा भी लिया जा सकता है। अथवा अन्तमें अिन किसानोंको खातेदारोंकी कार्रवाअीका अिकार बनना पड़ा हो, वे अपना कब्जा न छोड़ें और सत्याग्रह

कर सकते हैं। लेकिन पारडी-आन्दोलनमें असा कुछ हुआ मालूम नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टीके कार्यकर्ता भूमिदान प्रवृत्तिमें जुड़कर काम करते थे, अुसके बदले अुन्होंने यह नीति क्यों अख्तियार की, अुसमें सत्याग्रह कहाँ आता है और अुससे क्या लाभ होगा, यह समझमें नहीं आता।

जनताको अब यह देखना है कि बेकार किसानोंको अिस तरहके गलत आन्दोलनमें पड़नेसे कोअी नुकसान न हो। अुतावलीमें या पूरे विचारके बिना किये जानेवाले सत्याग्रहसे नुकसान होता है; अिस नुकसानसे अुन्हें बचाना चाहिये। काश्तकारी कानूनमें रही किसी खामीका अगर दुस्प्रयोग किया जाता है, तो सरकारको अुसे दूर करना चाहिये। खातेदारोंको भी यह समझ लेना चाहिये कि श्री विनोबाकी शांत प्रवृत्तिकी अपेक्षा करना अब अुन्हें पुसायेगा नहीं। अगर अुन्होंने अपनी जमीनमें अनाजकी खेती करना बन्द कर दिया हो तो यह अनुचित है। बरसोंसे अपने साथ रहे काश्तकारोंका अिस तरह धंथा छीन लेनेसे अन्तमें अुन्हें भी नुकसान ही होगा। वे अपनी जमीनको अिस तरह पड़ती-जैसी नहीं बना सकते। यदि असा करें तो जमीन पर अुनका मालिकी हक भी क्यों रहना चाहिये? वे अपने अिस हकका अपुयोग जब तक समाजके हितमें करें, तभी तक वे अिसका अपुभोग कर सकते हैं। सबके सुखमें अुनका सच्चा सुख समाया हुआ है, यह अटल सामाजिक न्याय है। अिसे यदि भुला दिया जाय, तो पारडीके जैसे आन्दोलनोंको बिना कारण मौका मिल जाता है और अिस तरह अेक गलतीके खिलाफ दूसरी गलती होती है। लेकिन अिससे गलती दुगनी ही होती है; पहली गलती सुधरती नहीं। दोनों गलतियाँ दूर हों और शांति तथा समझदारीका रास्ता लिया जाय, यही सच्ची नीति है। अिसी नीतिकी तरफ खातेदारों और काश्तकारोंको मोड़नेमें लोकहित निहित है।

११-९-५३
(गुजरातीसे)

मगनभाअी देसाअी

आत्म-लोकवासी किशोरलालभाअी

पूज्य किशोरलालभाअी आत्म-लोकवासी हुअे, अुस घटनाको अब अेक साल हो रहा है। जैसा मैंने अुस प्रसंगमें कहा था, हमारे बंधन-रहित बंधु-मंडलमें वे स्नेहनका कार्य करते थे। अपने अगाध स्नेहकी वर्षा हम पर करके वे निज-लोक सिधारे।

अुनके जानेंके बाद बंधु-जनोंने अपनी जिम्मेवारीका विशेष अनुभव किया। चांडिलमें अिकट्ठे हुअे बहुत सारे भाअी-बहनोंको सूक्ष्म भावमें अुनकी अुपस्थितिका अनुभव हुआ। वहां लोगोंने अेक बड़ी बात तय की। 'चरखा-संध' सर्व-सेवा-संधमें विलीन हुआ, अिससे सर्वोदय-समाजकी शक्ति बढ़ी। अब रचनात्मक काम करनेवाले दूसरे संधोंके लिये भी रास्ता खुल गया है। मेरा विश्वास है कि वे भी काल-क्रमेण विलीन होनेका मार्ग शोधेंगे। अहिंसा टुकड़ोंमें काम नहीं करती है। वह तो अखंड, अेकरस है। वेदोंने अुसे ही "अदिति" नाम दिया है।

किशोरलालभाअीके स्मारकके लिये पैसा अिकट्टा करनेकी कल्पना कुछ मित्रोंने की थी। मैंने यह कल्पना पसंद नहीं की। मैंने कहा, गांधीजीके नामसे हमने निधि अिकट्टी की, वह बात भी किशोरलालभाअीको बहुत रुची नहीं थी। मुझे भी वह नहीं जंची थी। लेकिन हमारे बुजुर्ग नेताओंने निधिके लिये वैसी जाहिर घोषणा की, तो हमने भिन्न आवाज अुठाना ठीक नहीं समझा। पर अब हम पैसा अिकट्टा करनेका अध्याय वहीं समाप्त समझें, तो नये अध्याय लिखनेके लिये स्फूर्ति मिलेगी। सार्वजनिक अपुयोगके खयालसे ही अुयों न हो, परिग्रह-वृत्तिको हम बढ़ावा

न दें, तो हमारे लिये पराक्रमकी नअी राह खुल जायगी और हमारे कार्यकर्ता तेजस्वी और प्रतिभावान् बनेंगे।

लोगोंको मालूम है कि भूदान-यज्ञकी पूर्तिमें हमने संपत्ति-दान-यज्ञ चलाया है। लेकिन अुसमें हम पैसके संग्रहसे मुक्त रहते हैं। पैसा दाताके पास रहता है, दान-पत्र हमारे पास रहता है। दाताको हमारे निर्देशके अनुसार खर्च करना होता है। अुसका हिसाब भी अुसको रखना होता है। वह हिसाब समाजके सामने वह पेश करता है। अेक-मुश्त दान देकर वह मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि आजीवन अपनी संपत्तिका अेक निश्चित हिस्सा देता है। यह कल्पना अगर हम देशभरमें प्रचारित कर सकें, तो घर-घरमें गरीबोंके कामके लिये बैंक खुल जायगी और अपरिग्रहकी ताकत परिग्रहसे लाख गुना अधिक है, अिसका हमें दर्शन होगा। मैं जान-बूझकर यह काम आहिस्ता-आहिस्ता कर रहा हूँ, क्योंकि अिसमें अेक जीवन-निष्ठा बनानेकी बात है। वैसे संपत्तिदान-यज्ञकी जरूरत जबसे भूदान-यज्ञ चला, तभीसे महसूस हो रही थी। पर मैंने 'अेकै साथे सब सधे' कबीरके अिस वचनके अनुसार आरम्भमें भूदान-यज्ञ पर ही जोर देना पसन्द किया। अुसमें कुछ प्रगति होनेके बाद बिहारमें संपत्ति-दानका अपरिग्रही विचार लोगोंके सामने रखा। अुसमें श्री किशोरलालभाअीकी स्मृति मुझे चेतना दे रही थी।

चांडिलमें सर्वोदय-प्रेमी सुहृद्-जनोंने महसूस किया कि भूदान-यज्ञको सफल करना है तो "तीरे अूभा जुअे तमाशो" वाली बात अब नहीं चलेगी, अुसमें सबको कूद पड़ना ही होगा। और तबसे भूदान-यज्ञका जोश कुछ बढ़ा। अिसमें भी किशोरलालभाअीकी स्मृति काम कर रही है, असा मैं देखता हूँ। जब वे जीवित थे, कहते थे: "अगर मेरा शरीर लायक होता, तो मैं भूदान-यात्रामें गांव-गांव घूमता।" वे शरीरसे तो नहीं घूमते थे, लेकिन दूसरे जो घूमते थे, अुनका मन और प्राणसे साथ देते थे और मातृ-स्नेहसे बचाव कर लेते थे। अुनके आशीर्वादसे भूदान-यज्ञ आगे बढ़ रहा है और अहिंसामें विश्वास रखनेवाले भाअी-बहनोंको नवीन आशा दे रहा है।

किशोरलालभाअी स्थूल स्मारकोंमें मानते नहीं थे। मैं तो अैसे स्मारकोंको 'वि-स्मारक' ही नाम देता हूँ। अभी मैं नालंदा गया था। वहां पुराने बौद्ध विद्यापीठके खंडहर देखे, जिनमें अेक मूर्तिके पांवके नीचे शंकर-पार्वतीको रखा है। मूर्तिकारने अुसे बौद्ध-धर्मका स्मारक समझा था। लेकिन वह विस्मारक साबित हुआ। अैसी कअी मिसालें दी जा सकती हैं। 'स्थूल स्मारक' 'वि-स्मारक' ही नहीं, बल्कि कअी मर्तबा 'अप-स्मारक' भी हो जाते हैं। अिसलिये गुण-स्मरण, गुण-चिंतन और गुणानुसरण ही सच्चा स्मारक है, असा समझकर हम सब धर्माचरण करते चले जायं, तो सब ऋपियोंका अुससे सहज तर्पण होगा।

पड़ाव: बरहट, बिहार १-९-५३
('सर्वोदय' से)

विनोबा

किशोरलाल मशरूवालाकी पुस्तकें

जीवनशोधन

कीमत ३-०-०

डाकखर्च ०-११-०

जड़मूलसे क्रान्ति

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-६-०

स्त्री-पुरुष-सर्वादा

कीमत १-१२-०

डाकखर्च ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९



हाथ-कागज

[१९५३-५४ के लिये योजना]

देशमें हाथ-कागजका अद्योग कहाँ कितना चल रहा है, जिसके विषयमें ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। जिस अद्योगके मौजूदा केन्द्रोंमें से ११ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जहाँ काम कर रहे कागदियोंकी कुल संख्या १०५५ है।

चूँकि यह अद्योग कमी तरहके कागज — बुदाहरणके लिये, कानूनी दस्तावेजोंके जरूरी कागज, स्टेम्प-पेपर, ड्राइंग-पेपर, फिल्टर-पेपर (छन्ना-कागज), मढ़नेके लिये पुट्टे आदि — का निर्माण कर सकता है, जिसलिये जिसका विकास करनेकी बड़ी आवश्यकता है।

समस्याएँ

विदेशसे आयात किया जानेवाला दस्तावेजोंका कागज, ड्राइंग-पेपर, फिल्टर-पेपर आदि स्वदेशी कागजकी जिन किस्मोंके साथ होड़ करता है।

मौजूदा केन्द्र जल्दीसे जल्दी अितना बढ़िया माल तैयार करने लगे जो अुसी तरहके विदेशी मालकी जगह ले सके, जिसके लिये अुन्हें अपयुक्त साधन मुहैया करने पड़ेंगे और शास्त्रीय तालीम भी देनी पड़ेगी। चीन और जापानमें बरसाती कोट, खिड़कियोंके परदे, छाते आदिके अपयोगमें आनेवाला कागज बनाया जाता है; वैसा कागज हमारे यहाँ तैयार हो सकता है या नहीं, जिसकी जांचके लिये शोध करनेकी आवश्यकता होगी।

कागज-अद्योगके जैसे मुख्य केन्द्रोंको, जहाँ अद्योग कारीगर-वर्गके मजदूरोंके जरिये चलाया जाता है, विकसित करनेका हमारा अिरादा है। जिन लोगोंको आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिके विषयमें मदद और मार्गदर्शन करनेकी आवश्यकता है, ताकि वे कागजकी अुन किस्मोंका अुत्पादन कर सकें, जो अभी अपनी विशेषताओंके कारण बाहरसे बुलायी जाती हैं।

जिन केन्द्रोंमें कुछ खास किस्मके कागजोंका अुत्पादन करवाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिन किस्मोंकी अपनी विशेषताएँ हैं और वे बाजारमें अपने गुणोंके बल पर टिक सकती हैं।

सांगानेर (राजस्थान) और औरंगाबाद कागज-अुत्पादनके सबसे बड़े केन्द्र हैं। जिन दोनों जगहोंमें अेक-अेक कागज विशेषज्ञ रखनेकी बात सोची गयी है। केन्द्रीय दफ्तरके कर्मचारियों द्वारा दूसरे केन्द्रोंको भी कागज-निर्माणके विषयमें वैज्ञानिक सलाह मिलती रहेगी।

योजनाका अेक ध्येय यह भी है कि कागज-निर्माणका अद्योग माध्यमिक शालाओंमें दाखिल कर दिया जाय। सन् १९५३-५४ में अुपर जिन केन्द्रोंका अुल्लेख हुआ है, उनमें से १० केन्द्रोंके आसपास केन्द्रवार ५ स्कूलोंके हिसाबसे कागज-निर्माणका काम दाखिल कर दिया जायगा। प्रत्येक स्कूलको ६० ५०० की ग्रांट दी जायगी; ६० ४०० साधन-सामग्रीके लिये और ६० १०० शिक्षकोंको तीन माह तक कागज बनानेकी तालीम देनेके लिये।

अनुसंधान और अलग-अलग केन्द्रोंके कामको संयोजित करनेके लिये अेक केन्द्रीय संस्थाकी स्थापना की जायगी। अुसके काम निम्न-लिखित होंगे:—

- (१) हाथ-कागजके विकासके लिये व्यवस्था करना,
- (२) अनुसंधान और तालीमके काममें मार्गदर्शन करना और सलाह देना,
- (३) जिस अद्योगकी अुन्नति करना और समय-समय पर जो कठिनाइयाँ पैदा हों अुन्हें सुलझानेमें मदद करना,
- (४) हाथ-कागज अद्योगसे संबंधित आंकड़े और जानकारी बिकट्टी करना और मालकी अच्छाई कायम रखना,

(५) हाथ-कागज द्वारा सरकारकी जरूरतें पूरी करनेकी व्यवस्था करना।

[अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रकाशित बुलेटिनसे।]
(अंग्रेजीसे)

रेलवे-विभागमें अनीति

हमारे देशमें शहरों और शहरोंसे संबंध रखनेवाले लोगोंके लिये अब रेलवेका अपयोग लगभग अनिवार्य बन गया है। जिसलिये रेलवे और अुसकी व्यवस्था शहरी समाजकी अेक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गयी है। भारतके लोकसत्तात्मक राज्य होनेसे रेलवेका राष्ट्रीयकरण करीब-करीब पूरा हो गया है और रेलवे अब देशकी अेक संपत्ति मानी जाने लगी है।

लेकिन साथ ही यह बात भी स्पष्ट है कि अनीतिके भिन्न-भिन्न मार्गोंको अुत्तेजन देकर लोक-जीवनकी नीतिका स्तर गिरानेमें और अुसे मदद देनेमें रेलवेका काफी हाथ रहा है। और मुझे लगता है कि यदि जनताका जाग्रत वर्ग जिस दिशामें जाग्रहक नहीं रहा तो यह डर है कि रेलवे, जो अब अनिवार्य अंग बन रही है, भविष्यमें अराजकता फैलानेमें भारी मदद करेगी। दुर्भाग्यसे प्रजाकी ओरसे रेलवे अधिकारियोंकी आंख खोलनेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नोंकी ओर आम तौर पर रेलवे-विभागने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। परिणामस्वरूप प्रजाको अन्याय और अप्रामाणिकताकी ओरसे आंखें बन्द कर लेनेकी आदत पड़ गयी है। यहाँ में अेक मिसाल देता हूँ:—

पिछली ता० १६-८-५३ को सुबह ९ बजे मैंने अहमदाबाद स्टेशन पर, जहाँ यह बताया गया है कि तीसरे दर्जेके टिकटकी अेक खिड़की २४ घंटेके लिये खुली रहती है, रातकी गाड़ीके लिये टिकट लेनेको आदमी भेजा। वह आदमी यह जवाब लेकर वापस आया कि तीसरे दर्जेका टिकट रिजर्वेशनके साथ शामको साढ़े सातके बाद मिलेगा। यह व्यवहार तीसरे दर्जेकी लंड़ी मुसाफिरी करनेवाले यात्रियोंको खूले रूपमें दी गयी सुविधाके खिलाफ था, और जिसलिये वह मुझे बहुत अजीब मालूम हुआ। मैंने रेलवे-अधिकारियोंको फोन किया। थोड़ी बकझकके बाद जवाब मिला, "आदमीको फिरसे भेजकर टिकट मंगा लीजिये।" मैंने जिस व्यवहारके खिलाफ सख्त विरोध प्रगट किया और बताया कि अुससे मुझे कितनी परेशानी हुयी है। जिस पर अेकदम अुत्तर मिला, "आपके आदमीने बताया होता कि वह . . . की तरफसे आया है, तो टिकट तुरंत दे दिया जाता।" जिस जवाबसे मुझे और भी ज्यादा आघात लगा। रेलवेने जो सुविधा देना तय कर लिया है, यदि अुसे पानेके लिये भी अपने व्यक्तिगत प्रभावका अपयोग करनेकी जरूरत पड़े, तो निश्चय ही अुसका लाभ गरीब जनताको नहीं मिल सकता। अैसे दुःखद अनुभव तीसरे दर्जेके यात्रियोंके लिये रोजकी चीज हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अुन्हें जिस तरहके दुर्व्यवहारके खिलाफ शिकायत करनेकी आदत नहीं है। रेलवेकी सलाहकार समितियोंके सदस्यों तथा जिस प्रश्नमें रस लेनेवाले दूसरे लोगोंसे मेरा नम्र अनुरोध है कि वे तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी जिन कठिनाइयोंके प्रति ज्यादा सावधानी दिखावें। जिसके सिवा, रेलवे-अधिकारियोंको मेरी नम्र सूचना है कि वे कुछ खास लोगोंकी विजिटर्सकी तरह चुनें, और ये लोग रेल-यात्रियोंकी जिन कठिनाइयोंके विषयमें जो शिकायत करें, अुसे दूर करनेके लिये तत्काल कदम अुठाये जायें।

यदि जनता और रेलवे-अधिकारी जिस विषयमें गंभीर ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे डर है कि अनीतिका यह बढ़ता हुआ रोग समाज-जीवनको अधिक कलुषित कर देगा।

(गुजरातीसे)

परीक्षितलाल मजमूदार

सेनामें शराबकी बुराबी

अंक बहनने मुझे नीचे लिखी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी महत्त्वपूर्ण है, अतः उसे लोगोंके विचारार्थ प्रकाशित करता हूँ:

“कोरिया जानेवाली हमारी कस्टोडियन सेनाको दिया हुआ आपका अपदेश मैंने विशेष ध्यानसे सुना, क्योंकि जानेवालोंमें मेरे पति भी हैं। आपका दिया हुआ संदेश अनेक संदेशोंमें, जो जिस यात्री-दलको जानेके पूर्व प्राप्त हुआ है, सर्वोत्तम था। उसमें आत्मीयता और प्रेमका भाव था। लेकिन अगर आप अनुमति दें, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस संदेशमें आपने शराबका जिक्र भी कर दिया होता, तो जिस अवसरके लिये वह और ज्यादा उपयोगी बन जाता। कितना अच्छा होता अगर आप अन्हें यह सलाह देते कि वे शराबसे पूरा परहेज न रखें, तो कमसे कम उसमें मात्राकी मर्यादा अवश्य रखें। क्या आपको अँसा लगता है कि जब वे अंक शान्तिमय कामके लिये जा रहे हैं, तब भी अन्हें अपनी ताजगी बनाये रखनेके लिये शराबकी जरूरत है? शराब हमेशा सबसे बड़ी बुराबी रही है और आज भी है। शराबने आज तक जितने घरोंका नाश किया है, अतना किसी दूसरी चीजने नहीं। जिन स्त्रियोंके पति शराब पीते हैं, अँसी सारी दुनियाकी हजारों-लाखों स्त्रियोंका सुख और जीवन जिस शराबके ही कारण नष्ट हुआ है। आजकल दुनियामें जो अपराध या आकस्मिक विपत्तिकी दुर्घटनायें होती हैं, अनेकमें ज्यादातर शराबके कारण ही होती हैं। सेनाके लोगोंमें जिस व्याधिकी जड़ बहुत गहरी फैली हुयी है। शराबबन्दी सेनामें क्यों नहीं लागू की जा सकती? मैं तो अक्सर यह आशा करती हूँ कि अँसा होगा। जब सेनाके लोग देशके बाहर जाते हैं, तो शराब अन्हें बहुत सस्ते दाममें मिलती है, और वहाँ अन्हें कोअी रोकनेवाला भी नहीं होता। जिसका परिणाम यह होता है कि वे उसे अचितसे ज्यादा मात्रामें लेते हैं और अपने स्वास्थ्यकी हानि करते हैं। उससे केवल स्वास्थ्यकी हानि होती है, अतना ही नहीं, वह प्राणोंके लिये भी खतरनाक है। क्योंकि ज्यादा शराब पीनेके बाद आदमी अपने विचारों या कार्योंकी संबद्ध योजना नहीं कर सकता। वह न तो ठीक-ठीक विचार कर सकता है, और न अँसा कोअी कार्य, जिसमें सोच-विचार और योजनाकी आवश्यकता होती है। अुदाहरणके लिये, वह मोटर नहीं चला सकता। लेकिन हकीकत यह है कि शराबकी पार्टियोंके बाद सेना-विभागमें काम करनेवाले पदाधिकारी हमेशा खुद ही मोटर चलानेका आग्रह रखते हैं। रात अंधेरी हो, तो मनकी अँसी मत्त अवस्थामें गाड़ी चलानेमें कितना खतरा है, यह आप खुद ही सोचियेगा। लेकिन ठीक अँसे मौकों पर ही अन्हें यह खयाल हो जाता है कि अन्हें बहुत अच्छा मोटर चलाना आता है, और वे अपनी जानकारी तथा अम्यासका बिना कोअी खयाल किये उसे तेजीसे दौड़ाते हैं।

“जिस खतरेके सिवा, उसमें अंक और खतरा भी है, जो अतना ही या उससे ज्यादा भयंकर है। आपने अपने अपदेशमें अनेक लोगोंसे यह तो कहा कि वे स्त्रियोंकी तरफ न देखें, लेकिन यह नहीं कहा कि साथ ही वे शराब भी न छुअें। अगर वे शराब पीते हैं, तो आपके अपदेशका अनेक पर-कोअी असर नहीं होगा। शराबके ही कारण अनेक स्त्रियोंकी ओर जाता है; और अगर किसी व्यक्तितने शराब पी हो, तो उसे अँसा करनेसे रोका नहीं जा सकता। हम कल्पना करें कि जिसके दुष्परिणाम कितने

दुःखद होते हैं। सब आदमियोंमें न तो अतनी संकल्प-शक्ति होती है और न अपनी स्त्रियोंके प्रति अतनी वफादारी कि वे सदाचारका पूरा-पूरा पालन करें। जिसके सिवा, वे अीश्वरसे डरनेवाले भी नहीं होते।

“जिसके कारण पैसेका अनाप-शनाप खर्च होता है; जिस पैसेका सदुपयोग अनेक दूसरी बातोंमें हो सकता था, वह शराब आदि पर अुड़ाया जाता है।

“आप तो यह सब जानते हैं, लेकिन तब भी आपका भाषण सुनने पर मुझे यह सब कहनेकी अिच्छा हुयी और मैं अपनेको रोक नहीं सकी। मैंने आपको सीधे पत्र लिखनेकी जो ठिठाजी की है, उसके लिये आप क्षमा करेंगे।”

जिसके बाद लेखिकाका अंक दूसरा पत्र भी आया:

“आपके जवाबकी मैंने कोअी आशा नहीं की थी, जिसलिये जब वह आया तो मैंने बहुत गौरवका अनुभव किया। मुझे तो लगता था कि आपका भाषण अघूरा था— मेरे जिस कथन पर आप नाराज होंगे।

“आपका यह सोचना ठीक है कि मेरे पत्रके पीछे संवेदनाकी गहराबी है। आप खयाल कर सकते हैं कि मनमें कितने दुःख और आशंकाका बोझ रखते हुअे मैंने अपने पतिको बिदा दी।

“मैं अँसी कितनी ही दूसरी स्त्रियोंको जानती हूँ, जो जिस शराबके बारेमें मेरी ही तरह सोचती हैं।

“मेरा नाम प्रगट किये बिना आप मेरी चिट्ठीका अुपयोग अवश्य कर सकते हैं।

“मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आपकी मदद और प्रभावके फलस्वरूप हमारे देशसे, और खासकर सेनामें से, शराबकी यह बुराबी बिलकुल निर्मूल हो जाय।”

मद्रास, २९-८-५३

च० राजगोपालाचार्य

(३१-८-५३के 'हिन्दू' से)

अहिंसक माअू-माअू प्रतिज्ञा

बड़े प्राचीन कालसे अफ्रीकाका महाद्वीप गुलामोंकी खान रहा है। पहले वे पकड़ लिये जाते थे और फार्मों तथा बगीचोंमें काम करनेके लिये बाहर भेज दिये जाते थे, जिनके मालिक अनेकी परवरिश करते थे और गुलामोंको कुछ होने पर अनेके लिये पैसेका नुकसान भी अुठाते थे। आजकल जिस चीजने और भी आसान और सीधा रूप ले लिया है। अब बगीचे और बगीचोंके मालिक गुलामोंकी खानमें ही पहुँच गये हैं और गुलामोंको खाना, कपड़े तथा आसरेके बजाय थोड़ीसी मजदूरी दे दी जाती है। जब अफ्रीकी लोग गुलामीके कामकी भीख मांगने नहीं आते, तो अनेके छोटे-छोटे खेत अनेसे छीन लिये जाते हैं, अने पर अनेक तरहके कर लादे जाते हैं और अनेकी हलचल पर अँसी कँद लगा दी जाती है कि अनेके लिये गुलामी और मौतके बीच चुनाव करनेके सिवा कोअी चारा ही नहीं रह जाता।

आजका गोरा अफ्रीकाको पूरी तरह गोरोंसे ही नहीं भर देना चाहता। अँसा करनेसे उसे कोअी लाभ नहीं होगा। वह सस्ते अफ्रीकी मजदूर चाहता है, क्योंकि अनेके बिना उसका सारा आर्थिक ढाँचा टूटकर चूर-चूर हो जायगा।

जिसलिये अफ्रीकी लोगोंकी मुक्तिके लिये जिसके सिवा और कोअी रास्ता नहीं है कि वे मजदूरी लेकर काम करनेसे बिलकुल अिन्कार कर दें। आज हर अफ्रीकीकी अंकमात्र प्रतिज्ञा, जो अफ्रीकामें सारी जातीय असमानताका अन्त कर देगी और हर अफ्रीकी पुरुष, स्त्री और बच्चेको आजाद बना देगी,

यह होनी चाहिये : "मैं किसी मालिककी गुलामी नहीं करूंगा।" जिसका अर्थ भूखों मरना नहीं है। जिसका अर्थ अपने खेत पर, अपने कारखानेमें परिवारके साथ या छोटे-छोटे सहकारी दलोंके रूपमें काम करके खुदको रोजी देना है।

बेशक, जिस प्रतिज्ञा पर अमल करना कठिन है। अफ्रीकियोंको फुसलाकर, सताकर, घूस देकर या धमकाकर उनसे पैसेके बल पर काम लेनेका हर तरीका अस्तित्वपर किया जायगा। लेकिन उनकी जिस प्रतिज्ञामें स्वाभाविक गौरव, अपने बल पर अकेले मौन आत्म-विश्वास है। इसके लिये किसी प्रकारके दबावकी जरूरत नहीं है, यह हिंसासे सर्वथा मुक्त है। अकेले आदमी भी जिसका रास्ता दिखा सकता है; अकेले छोटासा झरना विशाल नदीका रूप ले सकता है। यह जैसा सही और शुद्ध साधन है, जो अनिवार्य रूपसे अन्तम परिणाम ला सकेगा।

(अंग्रेजीसे)

मॉरिस फ़िडमैन

देशान्तरवास और जातीयतावाद

"नैरोबी, २७ अगस्त, १९५३ — केन्याके युरोपियन लोगोंने आज यह प्रस्ताव किया कि अगले पांच सालमें जिस ब्रिटिश उपनिवेशमें ३०,००० अतिरिक्त युरोपियनोंको बसाया जाय और अशियावासियोंके बसने पर रोक लगायी जाय।

"युरोपीय निर्वाचकोंके मण्डलने अपने वार्षिक संमेलनमें अकेले प्रस्ताव पास करते हुये कहा कि केन्याके युरोपीय वर्गकी सुरक्षा इसी बातमें है कि अब भारतीयोंको वहां और प्रवेश न करने दिया जाय तथा उपनिवेशका विकास सिर्फ गोरे लोगोंकी बस्तीके रूपमें किया जाय। यह मण्डल करीब २०,००० युरोपियन लोगोंका प्रतिनिधित्व करता है।" — रायटर

अपर दी हुयी खबर कभी दृष्टियोंसे विचारणीय है। अकेले वह अफ्रीकाके अस कृष्ण महाद्वीपमें रंगभेद पर आश्रित विभिन्न जाति-समुदायोंके बीच भावी युद्धकी आशंकाका निर्माण करती है। अन्यथा वहां बसनेवाली जनताका अकेले बहुत ही छोटा वर्ग बाकी लोगों पर अपनी अकेले अत्यायपूर्ण नीति कैसे लाद सकता है? पूर्वी अफ्रीकाकी कुल जनसंख्या १,८१,००,००० है, जिसमें गोरोंकी संख्या सिर्फ ४४,००० के आसपास है। केन्यामें, ३०,००० युरोपियन हैं, ९०,००० भारतीय, २४,००० अरब और पचास लाख अफ्रीकानिवासी हैं। केन्यामें बसे हुये अकेले लाखसे ज्यादा अशियावासियोंकी स्थिति बिचौनियों जैसी है। वे सत्तारूढ़ धनिक युरोपियन वर्गके लिये काम करते हैं। बेचारा अफ्रीकी निर्धन मजदूर है, जिसकी बढ़िया उपजाऊ जमीन आनेवालोंने अपने मनमाने कानून बनाकर छीन ली है और उसे अपने लिये सुरक्षित कर लिया है। इसके सिवा, अस पर प्रति मनुष्य पॉल टैक्स लगाया गया, जो सिर्फ सिककोंमें चुकाया जाता है और जिसे चुकानेके लिये उसे बाध्य होकर पैसा कमानेका काम करना पड़ता है। यद्यपि देश उनका ही है, फिर भी अहमें अपने ही देशमें रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट लेने और रखनेके लिये बाध्य किया जाता है, जिस पर उनके अंगुठों और अंगुलियोंकी छाप होती है। यह सारी परिस्थिति खयालमें रखकर ही हमें अपर दी गयी खबरका विश्लेषण करना चाहिये।

दूसरोंके प्रति युरोपियन वर्गके जिस व्यवहारका अकेले और पहलू भी है और असका हमें ध्यान रखना चाहिये। पश्चिमी लोग आजकल हमें लगातार यह अपदेश करते रहते हैं कि हमारी

संख्या बहुत ज्यादा है, और यदि हम गरीबी तथा भूखका कष्ट सह-सहकर मरना न चाहते हों, तो हमें प्रजोत्पत्तिका नियंत्रण करना चाहिये और अपने बाजार पश्चिम द्वारा प्रस्तुत गर्भ-निरोधके साधनोंकी बिक्रीके लिये खोल देने चाहिये। अफ्रीका और आस्ट्रेलिया आदिमें जनसंख्या बहुत विरल है और उन देशोंके विकासके लिये यह जरूरी है कि लोग वहां बाहरसे जाकर बसें तथा वहांकी संपत्तिका लाभ अठावें। लेकिन अपने शस्त्र-बलकी अधिकताके आधार पर ये लोग हमें वहां जा बसनेसे रोकते हैं। हां, वे युरोपियन लोगोंको जरूर वहां बसाना चाहते हैं। बाहरसे आकर बसनेवालों पर रंग-भेदकी नीतिसे प्रेरित यह रोक बहुत खराब है। उसके कारण अकेले ओर सुखद आन्तरराष्ट्रीय संबंधोंके निर्माणमें बाधा उत्पन्न होती है, दूसरी ओर वह बताती है कि पश्चिमके अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियोंका हमें सन्तति-नियमनका अपदेश करना कितना थोथा है। अहमें यह क्यों नहीं सूझता कि दुनियाके कुछ हिस्सोंमें आबादीके ज्यादा होने और कुछमें कम होनेकी समस्याको हल करनेका सरल अुपाय यह है कि किसी आन्तरराष्ट्रीय सत्ताकी देखरेख और व्यवस्थामें ज्यादा आबादीवाले हिस्सोंसे लोगोंको अुचित संख्यामें कम आबादीवाले हिस्सोंमें भेज दिया जाय। लेकिन पश्चिमके लोग इसके लिये तैयार नहीं हैं। अलुटे, यदि उनकी जिस स्वार्थपरताके खिलाफ पीड़ितोंमें कोअी प्रतिक्रिया पैदा होती है, तो वे असका दुष्टतापूर्वक दमन करते हैं; अुदाहरणके लिये, माझू-माझू आन्दोलनको जिस तरह दबाया गया है, उसमें माझू-माझूकी सारी बुराअी मौजूद है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंने सरकारकी नीतिका कुछ विरोध किया, तो असने जैसे कानून बनाने शुरू कर दिये जिससे कोअी अशियावासी वहां रह ही न सके। कहनेकी जरूरत नहीं कि यह न्यायकी भावना और यूनोंके घोषणा-पत्रके प्रतिकूल है। अकेले जैसे प्रदेशमें, जो उनका नहीं है और जहां उनकी संख्या कुल आबादीका बहुत कम अंश है, गोरे लोगोंकी यह दुरभिमानपूर्ण मनोवृत्ति दुनियाकी शान्तिके लिये बड़ा खतरा है; पूर्व और पश्चिमके संबंध खराब करनेमें वह अकेले बड़ा प्रेरक कारण है। हम आशा करते हैं कि केन्याकी सरकार, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थका ही अकेले हिस्सा है, अुक्त निर्वाचक मंडलके जिस प्रस्तावको, जो जाति और रंगके अपमानजनक आधार पर प्रजामें भेदभाव करता है, स्वीकार करके उनकी स्वार्थ-वृत्तिको प्रोत्साहन नहीं देगी।

५-९-५३

मगनभाअी देसाअी

(अंग्रेजीसे)

विषय-सूची	पृष्ठ
शिक्षा और सेवा	मगनभाअी देसाअी २२५
भूमिदान	रामधारीसिंह 'दिनकर' २२७
अकेले गलतीके खिलाफ दूसरी गलती	मगनभाअी देसाअी २२८
आत्म-लोकवासी किशोरलालभाअी	विनोबा २२९
हाथ-कागज	२३०
रेलवे-विभागमें अनीति	परीक्षितलाल मजमूदार २३०
सेनामें शराबकी बुराअी	च० राजगोपालाचार्य २३१
अहिसक माझू-माझू प्रतिज्ञा	मॉरिस फ़िडमैन २३१
देशान्तरवास और जातीयतावाद	मगनभाअी देसाअी २३२
टिप्पणियां :	

बीड़ीका व्यसन और आरोग्य

दृष्टिदान

कृत्रिम खाद

मध्यप्रदेशकी राजभाषायें

गोकुलभाअी भट्ट

सोराबजी मिस्त्री

म० प्र०

म० प्र०